

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

Case No. C.R.A./09/2017

Filing No. CRA/291/2017

CNR-MP5005005152017

संस्थित दिनांक -08.02.2017

विरेन्द्र कुमार उम्र 25 वर्ष पिता मुलामसिंह
निवासी कुमादेही थाना बैहर जिला बालघाट - - - - - अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा
आरक्षी कन्द्र बैहर जिला बालाघाट - - - - - उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:- श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.क्रमांक 566/2012 शासन विरुद्ध विरेन्द्र+1 निर्णय
दिनांक 04.02.2017 से परिवेदित होकर यह दण्डिक अपील अंतर्गत धारा
374 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत की है}

=====

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-विरेन्द्र।
श्री अभिजीत बापट, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

-// // निर्णय // // -

(आज दिनांक **07 नवम्बर, 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 566/2012 म0प्र0 राज्य विरुद्ध विरेन्द्र+1 पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 04.02.2017 से परिवेदित होकर पेश की है।

2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 07.06.2012 को प्रातः लगभग 09.00 बजे प्रार्थी/आहत कमलेश, हाई स्कूल कुमादेही के सामने सड़क के किनारे अपनी मोटरसाईकल खड़ी कर पास में खड़ा था तब बोलेरो वाहन क्रमांक एम.पी.22बी.ए.0126 को वाहन चालक विरेन्द्र सिंह धुर्वे निवासी कुमादेही का लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाकर लाया और कमलेश की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी जिससे आवेदक/आहत के शरीर में चोटें

आई। वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। बोलेरो को वाहन चालक वाहन लेकर भाग गया, आशय की प्रथमसूचना पुलिस थाना बैहर में लेख कराई जाने पर थाना बैहर ने अपराध क्रमांक 85/2012 धारा 279, 337 भा0द0वि0 के अधीन पंजीबद्ध कर आहत का मुलाहिजा कराकर, अन्वेषण पूर्ण कर अभियुक्त पर धारा 279, 337 भा0द0वि0 तथा धारा 3/181, 5/180 मो0व्ही0एक्ट0 के अधीन पेश किया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के कूट परीक्षण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन किये बिना विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। साक्ष्य का मूल्यांकन सही नहीं किया है, पक्षद्रोही साक्षी के कथनों पर विश्वास किया है। अपील स्वीकार कर पारित दण्डादेश निरस्त किये जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने दण्डिक प्रकरण क्रमांक 566/2012 में दिनांक 04.02.2017 को पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, विधि की त्रुटि, तथ्यविषयक त्रुटि किये जाने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

4. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार सोनकुसरे ने अपील में गुणदोष पर तर्क न कर निवेदन किया कि मामला धारा 279, 337 भा0द0वि0 तथा धारा 3/181, 5/180 मो.व्ही.एक्ट.1988 के अधीन दोषसिद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कारावासीय दण्ड धारा 337 भा0द0वि0 के अधीन एक माह का कारावास भी अधिरोपित किया है। श्री सोनकुसरे अधिवक्ता ने तर्क में निवेदन किया कि केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

5. राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. ने अपीलार्थी की ओर से किये गये तर्क का विरोध करते हुए निवेदन किया कि एक माह का कारावासीय दण्ड उचित रूप से दिया गया है इसलिए हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा यथावत रखे जाने की याचना की है।

6. मूल अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अध्ययन किया। प्रदर्श पी-4 नुकसानी पंचनामा के अनुसार मोटरसाईकल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदर्श पी-5 की घटनास्थल के नक्शामौका के अनुसार मोहनलाल ऐड़े के घर के सामने के मार्ग पर बीजा के पेड़ की ओर के किनारे 'ए' शब्द से घटनास्थल को चिन्हित किया है। प्रथमसूचना प्रदर्श पी-8 का खण्डन नहीं है। प्रदर्श पी-10 की एम.एल.सी. का खण्डन नहीं है। प्रदर्श पी-11 का वाहन की यान्त्रिकी मुलाहिजा अभियोजन के पक्ष में है।

7. विरेनबाई (अ.सा.1), ओसिलाबाई(अ.सा.2), कुसोबा(अ.सा.7), प्रेमलाल (अ.सा.10) की साक्ष्य में घटना बाबत कोई कथन नहीं है। आहत कमलेश सिंह(अ.सा.6) ने घटना के संबंध में अभियुक्त के पहचान के संबंध में साक्ष्य दी है, की पुष्टि अन्य साक्षियों के कथन से होती है इसलिए गुणदोष पर अपील में निर्णय को चुनौती न दिये जाने पर भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त विरेन्द्र कुमार को दोषसिद्ध पाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8. दण्डादेश के बिन्दु पर किये तर्क के अनुसार विचार किया गया। मोटर व्ही.एक्ट के अधीन पारित दण्डादेश में अधिरोपित अर्थदण्ड उचित रूप से लेख किया गया है। धारा 279, 337 भा0द0वि0 के अधीन एक माह का कारावास और 500/- रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। धारा 279 भा0द0वि0 के अधीन अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है जबकि 337 भा0द0वि0 से अधिक अर्थदण्ड धारा 279 भा0द0वि0 में है। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में निवेदन किया गया है कि धारा 279, 337 भा0द0वि0 दोनों में अर्थदण्ड अदा करने को तैयार हैं।

अतः किये गये तर्क के आधार पर एक माह के कारावासीय दण्ड को अपास्त कर धारा 279 भा0द0वि0 के अधीन 1000/-रुपया का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।

पूर्वानुसार धारा 337 भा0द0वि0 के अधीन पूर्वानुसार 500/-रूपया, धारा 3/181 मोटर व्ही.एक्ट के अधीन पूर्वानुसार 500/-रूपया तथा 5/180 मोटर व्ही.एक्ट के अधीन 1000/- रूपया के अर्थदण्ड को यथावत रखा जाता है।

अपीलार्थी ने धारा 337 भा0द0वि0, धारा 3/181, 5/180 मोटर व्ही.एक्ट का अर्थदण्ड रसीद बुक क्रमांक 23323/61 से दिनांक 04.02.2017 को 1000/-रूपये अर्थदण्ड अदा कर दिया है। अतः उससे आज 1000/-रूपये अर्थदण्ड जमा कराया जावे, जमा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

उक्तानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा आंशिक रूप से निरस्त की गई।

निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम पंजी में दर्ज करने हेतु विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर